

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">विविध पुनरीक्षण 42/2014</p> <p style="text-align: center;">मेसर्स राँची कन्स्ट्रक्शन बनाम् शैलेन्द्र कुमार</p> <p>इस न्यायालय में मूलतः HRC पुनरीक्षण वाद-97/2006 विचाराधीन था। उक्त वाद में दिनांक-29.04.2008 को न्यायालय द्वारा आवेदकों को 1597/- रुपया प्रतिमाह की दर से दिनांक-27.09.1990 से जुलाई-2007 तक बकाया किराया का भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश के पश्चात् आवेदक कई तिथियों पर अनुपस्थित रहे। जिस कारण दिनांक-06.05.2014 को वाद को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध एक Restoration Petition दिनांक-03.12.2014 को दायर किया गया, जो पुनरीक्षण वाद 42/2014 के रूप में दर्ज हुआ। इस वाद में दिनांक-07.05.2018 को तत्कालीन आयुक्त द्वारा Restoration Petition स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इस न्यायालय में मूलतः पुनरीक्षण वाद 1997/2006 पुर्नजीवित हुआ है किन्तु एक ही विषय पर 02 वाद संचालित किये जा रहे हैं, जो स्पष्टतः उचित नहीं है। इस वाद में आवेदक लगातार अनुपस्थित है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका-3028/2008 जो इसी विषय से संबंधित है, के अद्यतन स्थिति के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। विपक्षी इस वाद में लगातार उपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा दिनांक-29.04.2008 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पुनः अनुरोध किया गया है।</p> <p>वर्णित परिस्थिति में तत्काल वाद संख्या-42/2014 की कार्रवाई समाप्त की जाती है। वाद संख्या-97/2006 जो पुर्नजीवित किया जा चुका है, उसी अभिलेख में अग्रसर कार्रवाई की जायेगी। अपीलकर्ता विगत 02 वर्षों से</p>	

un6

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक-29.04.2008 को किराया भुगतान करने के संबंध में पारित करने का आदेश का उनके स्तर से कोई अनुपालन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता को पुनः निदेशित किया जाता है कि वे उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के संबंध में अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध करेंगे तथा दिनांक-29.04.2008 का आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की एक प्रति वाद संख्या-97/2006 में संलग्न करें तथा सुनवाई हेतु दिनांक-18.04.2022 को रखें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>W. K. Misra</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p> <p><i>W. K. Misra</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p>	